हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.39/2021	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.4.2022	पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी हरीसिंह पुत्र रेवन्तसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– 177 कैलयाषो की ढानियां, खिरजां भाटीपुरा आशा, तहसील– शेरगढ, जिला– जोधपुर,, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, जय खेतेश्वर रुपाली स्वीट एण्ड रेस्टोरेन्ट, बस स्टेण्ड, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी हरी सिंह के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05.11.2020 को फर्म जय खेतेश्वर रुपाली स्वीट एण्ड रेस्टोरेन्ट, बस स्टेण्ड, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी हरी सिंह से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ सोन पपडी (श्री बालाजी ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1231 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./777/Act/2020/777 दिनांक 07.12.2020 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी हरी सिंह को नोटिस जारी कर जावाल पते पर भिजवाया गया, जो इस रिपोर्ट के साथ अदम तामिल प्राप्त हुआ कि प्रतिवादी ने दुकान किराये पर ली थी, जो बन्द कर दी है। जिस पर प्रतिवादी हरीसिंह को उसके निवास स्थान के पते 177, कैलाषयों की ढानियां, खिरजां भाटीपुरा आशा, तहसील– शेरगढ, जिला– जोधपुर पर नोटिस जारी कर पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया, लेकिन पंजीकृत डाक से नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी प्रतिवादी उपस्थित नही हुआ एवं न ही उसकी ओर से बचाव में कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी को नोटिस की तामिल होने के बाद भी उपस्थित नही होने से प्रकरण में प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथी 30.3.2022 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। ऐसी स्थिति में, पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन कर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया, यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 05.11.2020 को समय 11.00 बजे फर्म जय खेतेश्वर ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला [illegible]
सिरोही-307001

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.39/2021	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

रुपाली स्वीट एण्ड रेस्टोरेन्ट, बस स्टेण्ड जावाल, तहसील व जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से हरी सिंह पुत्र रेवन्त सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– 177 कैलयाषों की ढानियां, खिरजां भाटीपुरा आशा, तहसील– शेरगढ, जिला– जोधपुर उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ सोन पपडी (श्री बालाजी ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ सोन पपडी (श्री बालाजी ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में खाद्य कारोबारकर्ता हरी सिंह को गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। दुकान के में हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ सोन पपडी (श्री बालाजी ब्राण्ड) के 2 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 5 किलोग्राम) में से सोन पपडी (श्री बालाजी ब्राण्ड) के एक पैक्ड पैकेट को खोलकर सोन पपडी (श्री बालाजी ब्राण्ड) को अच्छी तरह हिलामिलाकर 2 किलोग्राम सोन पपडी (श्री बालाजी ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु एक साफ, सूखे एवं खाली भिगोने में खरीदा एवं सोन पपडी (श्री बालाजी ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 260/– (रुपये दो सौ साठ मात्र) खाद्य कारोबारकर्ता हरी सिंह को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1231, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ सोन पपडी (श्री बालाजी ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह को चार साफ, सूखे, खाली प्लास्टिक के जार दिखाये। खरीदशुदा सोन पपडी (श्री बालाजी ब्राण्ड) को चारों खाली जारों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक नमूना जार में फार्मेलीन की 40–40 बूंदे डालकर चारों जारों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना जारों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं एक नमूना जार के साथ खाद्य पदार्थ सोन पपडी (श्री बालाजी ब्राण्ड) के मूल [illegible] लगाया। चारों नमूना जारों को अलग–अलग कागज में [illegible] कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियम[illegible] सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना [illegible] व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य [illegible] अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना नमूना भागों को आवेदक खाद्य

.......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.39/2021	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर बिक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 06.11. 2020 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा दीपक जैलिया, कायालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 05.11.2020 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म जय खेतेश्वर रुपाली स्वीट एण्ड रेस्टोरेन्ट, बस स्टेण्ड, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता हरी सिंह से खाद्य पदार्थ सोन पपडी (श्री बालाजी ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ सोन पपडी (श्री बालाजी ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1231 की प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या:L.S./777/Act/2020/777 दिनांक 07.12.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ सोन पपडी (श्री बालाजी ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी हरी सिंह ने खाद्य पदार्थ सोन पपडी (श्री बालाजी ब्राण्ड) के खरीद का बिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत नही किया है। ऐसी स्थिति में, मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सोन पपडी (श्री बालाजी ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी हरी सिंह दोषी है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा–52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ (Misbranded) सोन पपडी ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:20 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.39/2021	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	(श्री बालाजी ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी हरी सिंह पुत्र श्री रेवन्त सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– 177, कैलयाषों की ढाणियां, खिरजां भाटीपुरा आशा, तहसील– शेरगढ, जिला– जोधपुर,, खाद्य कारोबारकता, जय खेतेश्वर रूपाली स्वीट एण्ड रेस्टोरेन्ट, बस स्टेण्ड, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी हरी सिंह पुत्र श्री रेवन्त सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– 177, कैलयाषों की ढाणियां, खिरजां भाटीपुरा आशा, तहसील– शेरगढ, जिला– जोधपुर को आदेशित किया जाता है कि उन पर आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 11.5.2022 को पेश हो। (के.आर.खौड) अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:20 IST
Reason: SelfAttested